



कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज क्षेत्र
उत्तर प्रदेश वन निगम,
संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज - 211001

दूरभाष 0532-2421536
ई-मेल-rvml@upfc.in



पत्रांक 1767/तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री
सेवा में,

/दिनांक 27/1/2026
ई-मेल

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी
उत्तर प्रदेश वन निगम,
दुद्धी/झौंसी/वाराणसी।

विषय- वर्ष 2026 में हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री हेतु प्रस्तावित द्वितीय ई-निविदा
दिनांक-04/05/06.02.2026, की बिक्री सूची एवं शर्तों का प्रेषण।

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्रांक- 1750/ते0प0 अग्रिम बिक्री, दिनांक- 21.01.2026
महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक-04/05/06.02.2026, को आमंत्रित वर्ष 2026 में हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री हेतु आन-लाइन द्वितीय ई-निविदा की बिक्री सूची एवं बिक्री शर्तों एक प्रति में एतदसह संलग्नकर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री सूची ई-निविदा सूचना एवं बिक्री शर्तों को उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर) उत्तर प्रदेश वन निगम को भेजा जा रहा है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सुजाय बैनर्जी)

महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक

पत्रांक-1767/तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
3. महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता/पूर्वी), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ/प्रयागराज।

(सुजाय बैनर्जी)

महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक

कार्यालय-क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज

वर्ष-2026 में हरे तेन्दू पत्ता की अग्रिम बिक्री हेतु बिक्री का सूची प्रेषण

रेनुकूट लौगिंग प्रभाग तेन्दू पत्ता अग्रिम बिक्री वर्ष-2026

क्रम सं०	लाट सं० / वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो०)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-A-03/26	सोनमद्र	रेनुकूट	अनपरा	खजुरा	खजुरा-अ	100.00
						खजुरा-ब	100.00
						महुलाइनसोत	100.00
						तुरीपान	100.00
						बोदरहिया-अ	100.00
						बोदरहिया-ब	100.00
						मेड़रदह	100.00
					7	700.00	
2	R-A-04/26				वियहवा	वियहवा	100.00
						बड़हरा-अ	100.00
						बड़हरा-ब	100.00
						बड़हरा-स	100.00
						अमहवा	100.00
					5	500.00	
					2	12	1200.00
3	R-A-10/26	सोनमद्र	रेनुकूट	म्योरपुर	कुण्डाडीह	किरवानी	200.00
						कुण्डाडीह	200.00
						2	400.00
4	R-A-14/26				जामपानी	खेतारी-1	200.00
						खेतारी-2	200.00
						पनिहानार	200.00
						3	600.00
5	R-A-15/26				सरडीहा	बैरघट	200.00
						सायल	200.00
						2	400.00

6	R-A-16/26				बलेरी	बलेरी	400.00
						1	400.00
7	R-A-17/26				सुपाचुआं	सुपाचुआं-1	150.00
						सुपाचुआं-2	100.00
						सुपाचुआं-3	100.00
						सुपाचुआं-4	200.00
						सुपाचुआं-5	100.00
						5	650.00
8	R-A-18/26				सागोबोध	फुरीपान	100.00
						कोगा	200.00
						सागोबोध	100.00
						3	400.00
					6	16	2850.00
9	R-A-24/26	सोनभद्र	रेनुकूट	बभनी-1	अधौरा	अधौरा	100.00
						सतबहनी	100.00
						दड़देवा	100.00
						कुण्डपान	100.00
						4	400.00
10	R-A-26/26				डुमरहर	कन्हैयाडांड-1	100.00
						कन्हैयाडांड-2	100.00
						सेमरिया टोला	100.00
						बरडांड	100.00
						4	400.00
11	R-A-27/26				करमघट्टी	मगरमाड़	100.00
						झझरिमन्दा	100.00
						अम्माडांड	100.00
						किरी माटी	100.00
						4	400.00
12	R-A-28/26				चकबदरी	चैनपुर	200.00
						मुनगाडीह	100.00
						तिरकटवा	100.00
						3	400.00
13	R-A-29/26				मचबन्धवा	बगलतवा	100.00

						चकसानी	100.00
						मचबन्धवा	100.00
						सरईदहा	100.00
						धनवार	100.00
						झनकपुर	100.00
						सागसोती	100.00
						तेन्दूअल	100.00
						8	800.00
14	R-A-30/26				करचाटोला	गायदहा	100.00
						जोवेदहा	100.00
						पिपराखास	100.00
						रनदहा	100.00
						4	400.00
15	R-A-31/26				पोखरा	दरनखाड़	200.00
						करकच्छी	200.00
						2	400.00
16	R-A-32/26				आसनडीह	आसनडीह-1	200.00
						आसनडीह-2	200.00
						छिपिया	200.00
						एकदरी-1	200.00
						एकदरी-2	200.00
						पिपराखाड़	200.00
						6	1200.00
17	R-A-33/26				धनखोर	घघरा	200.00
						बरवै	200.00
						2	400.00
18	R-A-34/26				बैना	सरपोकाड़डी	200.00
						बहेराडोल	200.00
						बैना	100.00
						3	500.00
					10	40	5300.00
19	R-A-35/26	सोनभद्र	रेनुकूट	बमनी-2	सुन्दरी	धूमा	400.00

						1	400.00
20	R-A-36/26				भीसुर	भीसुर	200.00
						रन्दहटोला	200.00
						2	400.00
					2	3	800.00
21	R-A-37/26	सोनभद्र	रेनुकूट	जरहा	मजीठ	महुआ दोहर-1	200.00
						महुआ दोहर-2	100.00
						मझौली	200.00
						नवाटोला	100.00
						शीशटोला	100.00
						5	700.00
22	R-A-38/26				महुली-अ	जलजलिया-1	200.00
						जलजलिया-2	100.00
						औराडांड	200.00
						मैनहवा	200.00
						धौरहवा	100.00
						5	800.00
23	R-A-39/26				महुली-ब	विछियारी-1	1000.00
						विछियारी-2	500.00
						विछियारी-3	500.00
						3	2000.00
24	R-A-40/26				जरहा पूर्वी-अ	दनुआ	200.00
						रजमिलान	200.00
						हड़वरिया	200.00
						3	600.00
25	R-A-41/26				जरहा पूर्वी ब	महुली	300.00
						लीलादेव	300.00
						2	600.00
26	R-A-42/26				इंजानी	बकरिहवा	200.00
						नवाटोला	200.00
						2	400.00
27	R-A-43/26				जरहा पश्चिमी	चेतवा	200.00

						जहरीडाढ़	200.00
						2	400.00
28	R-A-44/26				डोडहर	घौरहवा	300.00
						डोडहर	300.00
						नकटू	300.00
						3	900.00
29	R-A-45/26				नेमना	नेमना .	300.00
						कूदर-1	300.00
						कूदर-2	300.00
						नवाटोला	200.00
						समथहवा	300.00
						5	1400.00
					9	30	7800.00
30	R-A-46/26	सोनमद्र	रेनुकूट	दुखी	रजखड	रजखड	200.00
						समरगिरवा	200.00
						बाबनझरिया	100.00
						3	500.00
31	R-A-48/26				मलदेवा	जपला-1	200.00
						जपला-2	200.00
						2	400.00
32	R-A-49/26				हथवानी	हथवानी	400.00
						कुण्डापान	400.00
						साहूडीह	300.00
						3	1100.00
					3	8	2000.00
33	R-A-52/26	सोनमद्र	रेनुकूट	विण्ढमगंज	ओराडंडी	ओराडण्डी-1	200.00
						ओराडण्डी-2	200.00
						घरनवा	100.00
						रजईदामर	100.00
						4	600.00
34	R-A-53/26				करहिया	चटनिया	100.00
						करहिया	100.00

					नीमसुकुट	100.00
					सन्ती	100.00
					4	400.00
35	R-A-55/26			वासिन-ब	घीचोरवा	100.00
					कुसुमदहा-1	300.00
					कुसुमदहा-2	200.00
					3	600.00
36	R-A-57/26			कोरगी	पतरिया	200.00
					डुमरा	300.00
					2	500.00
37	R-A-58/26			सुईचट्टान	फुलवार-1	300.00
					रसोइया	300.00
					सुईचट्टान	500.00
					3	1100.00
38	R-A-59/26			जोरुखाड़	जोरुखाड़-1	200.00
					जोरुखाड़-2	200.00
					जोरुखाड़-3	100.00
					3	500.00
39	R-A-60/26			हरनाकछार- अ	नवाटोला	200.00
					धिवही	300.00
					हरनाकछार	200.00
					3	700.00
40	R-A-61/26			विण्ढमगंज	चित्तौरिया	300.00
					सलैयाडीह-1	300.00
					सलैयाडीह-2	200.00
					धरतीडोलवा	300.00
					4	1100.00
41	R-A-62/26			धूमा अ	सुखड़ा	800.00
					1	800.00
42	R-A-63/26			धूमा ब	जामपानी	200.00
					केवाल-अ	200.00

						कोलीनडूभा	200.00
						केवाल-ब	100.00
						4	700.00
43	R-A-64/26				जाताजुआं	बोम	200.00
						जाताजुआ	200.00
						महुली	200.00
						परासपानी	200.00
						सुहेलदोहर	200.00
						5	1000.00
					11	36	8000.00
44	R-A-65/26	सोनमद्र	रेनुकूट	बघाडू	बघाडू	जरहर	500.00
						1	500.00
45	R-A-66/26				रन्डू	बीयटोला	300.00
						तेन्दूडांड	500.00
						2	800.00
46	R-A-67/26				तुरीडीह	जमतीडांड-1	100.00
						जमतीडांड-2	100.00
						फटरिया	100.00
						पूजयाचट्टान	100.00
						सुन्दरखाड़ी	100.00
						5	500.00
47	R-A-68/26				गौरसिंहा	गौरसिंहा-1	300.00
						गौरसिंहा-2	300.00
						विट्ठलदामर	100.00
						परसाही टोला	100.00
						4	800.00
48	R-A-69/26				नीमियाडीह	नौडीहा-1	100.00
						नौडीहा-2	200.00
						मधुवन	100.00
						करचा	200.00
						खैरटिया-1	200.00
						खैरटिया-2	200.00
						क्षत्रीटोला	200.00

						7	1200.00
49	R-A-70/26				गुलालझरिया	धाराटोला	300.00
						महुअरिया	300.00
						2	600.00
					6	21	4400.00
50	R-A-73/26	सोनभद्र	ओबरा	कोन	केवाल	तुमिया-अ	200.00
						तुमिया-ब	200.00
						पाण्डुघटटान-अ	200.00
						पाण्डुघटटान-ब	200.00
						झण्डिया	400.00
						बरवाहा-अ	200.00
						बरवाहा-ब	200.00
						अंजनिया	200.00
						ढोडियाही	200.00
						चिवटहिया	200.00
						बरवाही	200.00
						रोरवा	200.00
						पुरानपानी	200.00
						गिधिया	200.00
						14	3000.00
51	R-A-74/26				सरैया	भालूकूदर	400.00
						मुडकट्टी	300.00
						भक्तनिया	400.00
						सरैया	300.00
						सतदुआरी	300.00
						दलदलिया	200.00
						साधूबथान	200.00
						पुरानडीह	400.00
						ठूठीसेमर	200.00
						फुदनाडण्डी	300.00
						केकरहवा खाडी	200.00
						11	3200.00
52	R-A-75/26				रामगढ	नरहट्टी	200.00
						खेमपुर	200.00
						कोलडिहवा	200.00

						रामगढ	200.00
						नौडिहा	200.00
						निगाई	200.00
						कुसियारा	200.00
						गइयावथान	200.00
						8	1600.00
				3		33	7800.00
53	R-A-77/26	सोनभद्र	ओबरा	तरिया	बसुहारी	रानीडीह	100.00
						पिण्डारी	100.00
						कुम्हरवार	100.00
						चकरिया	100.00
						चननी	100.00
						बसुहारी	100.00
						अणगुण	100.00
						7	700.00
54	R-A-78/26				ससनई	गंधइलवा	100.00
						झरिया	100.00
						सकरनाला	100.00
						चिकड़ा	100.00
						सोनबिरी	100.00
						ससनई	100.00
						6	600.00
				2		13	1300.00
55	R-A-79/26	सोनभद्र	ओबरा	डाला	चोपन	तिलगुडवा	100.00
						ओबरा	100.00
						नवटोलिया	300.00
						3	500.00
56	R-A-83/26				रानीताली	पतगढी-अ	100.00
						पतगढी-ब	100.00
						बहेराखाडी	300.00

						सकला	200.00
						अवाडी	100.00
						पटेहवा-अ	100.00
						पटेहवा-ब	100.00
						हथवानी	200.00
						बाबूदह	100.00
						झिगटखोली	100.00
						भवानीकटरिया	100.00
						रानीताली	100.00
						अहिराडेरा	100.00
						गौराही	100.00
						14	1800.00
				2		17	2300.00
57	R-A-85/26	सोनभद्र	ओबरा	ओबरा	परसोई	परसोई	100.00
						मैराडाड	100.00
						अमरिनिया	100.00
						आरंगी	100.00
						4	400.00
58	R-A-86/26				नवाटोला	सुखडा	100.00
						भौराकुण्ड	100.00
						बैरपुर	100.00
						मगरदहा	100.00
						कैजूयारी	100.00
						सलेहवा	100.00
						नवाटोला	100.00
						7	700.00
59	R-A-87/26				नदहरी	नदहरी	100.00
						नदहरा	100.00
						सागरदह	100.00
						गाढापाथर	100.00
						खैरिहवा	100.00
						पिलधरवा	100.00
						कुरकटिया	100.00

						7	700.00	
60	R-A-88/26					अमरसोता	टेवनिहवा	100.00
						खैराही	100.00	
						अमरसोता	100.00	
						खाडर	100.00	
						छत्ताडांड	100.00	
						धनवहवा	100.00	
						खवहिवा	100.00	
						7	700.00	
61	R-A-89/26					पनारी	करमसार	100.00
						बकिया	100.00	
						फफराकुण्ड	100.00	
						जुरा	100.00	
						खडरा	100.00	
						खडरी	100.00	
						6	600.00	
					5	31	3100.00	
62	R-A-90/26	सोनमद्र	ओबरा	जुगैल		सेमिया	अमकोई	100.00
						कुरछा	100.00	
						बरवाडीह	100.00	
						छितिकपुरवा	100.00	
						लोलहवा	100.00	
						सरहियवा	100.00	
						महम-अ	100.00	
						7	700.00	
63	R-A-91/26					अगोरी	भडाही	100.00
						करियवा	100.00	
						गोरघट्टी	100.00	
						बिजोरा	100.00	
						चौरा	100.00	
						अगोरी	100.00	
						गोठानी	100.00	
						कर्जी	100.00	

						पटवाटोला	100.00
						गर्दी	100.00
						चकबड़िया	100.00
						सेमरा	100.00
						बोंडी	100.00
						घौरहवा	100.00
						मझौली	100.00
						परासपानी	100.00
						11	1100.00
68	R-A-96/26				पिपरा	चाडम	100.00
						झरइल	100.00
						पुरानडीह	100.00
						पिपरा	100.00
						दसहवा	100.00
						मुरचाघाट	100.00
						6	600.00
				7		58	5800.00
					इकाई	फड	52650.00
कुल योग							

मीरजापुर लौगिंग प्रभाग तेन्दू पत्ता अग्रिम बिक्री वर्ष-2026

	लाट सं०/वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेन्ज का नाम	इकाई का नाम	फड का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो०)
	1	2	3	4	5	6	7
1	M-A-2/2026	चन्दौली	काशी वन्य जीव वन प्रभाग रामनगर वाराणसी	चकिया	02- मूसाखाड	मूसाखाड	50.00
						विजमरवा	100.00
						बगदर/खुटा	150.00
						योग-	300.00
2	M-A-4/2026			चन्द्रप्रभा	04- शिकारगंज	नेवाजगंज	100.00
						शिकारगंज	150.00

						पुरानाठीह	50.00
						बोदलपुर	50.00
						चिलरहा	50.00
						योग-	400.00
3	M-A-6/2026			चकिया	06- मुबारकपुर	मुबारकपुर	100.00
						परना	100.00
						भभौरा	50.00
						सिंगारे	50.00
						योग-	300.00
				सेक्सन का योग 03 इकाई		योग-	1000.00
4	M-A-12/2026	चन्दौली	काशी वन्य जीव वन प्रभाग रामनगर वाराणसी	मझगाई	01-हरदहवा	मझगाई	50.00
						मझगावा	50.00
						बसौली	100.00
						जरहर	100.00
						योग-	300.00
5	M-A-14/2026			जयमोहनी	03- धौठवा	नरकटी	100.00
						नौडिहवा	100.00
						खुटहर	50.00
						धौठवा	50.00
						योग-	300.00
6	M-A-15/2026			मझगाई	04- साडसोत	केसार	50.00
						महदेवा	50.00
						साडसोत	100.00
						बैरगाढ	100.00
						योग-	300.00
7	M-A-17/2026			मझगाई	06- चिकनी	चिकनी	

							50.00
						पढौती	50.00
						धोबही	100.00
						मगरही	100.00
						योग-	300.00
				सेक्सन का योग 04 इकाई		योग-	1200.00
8	M-A-18/2026	सोनभद्र	सोनभद्र वन प्रभाग	चुर्क	01-रौप	कोल्हुआ	100.00
						मकरीबारी- I	200.00
						मकरीबारी- II	200.00
						मकरीबारी- III	200.00
						समदा	150.00
						अमहवा	100.00
						बबुरी	100.00
						लौवा	150.00
						अकडौर	100.00
						वल्लही	100.00
						भिलाही	100.00
						योग-	1500.00
9	M-A-19/2026			चुर्क	02-मऊ	पपडहवा	100.00
						गोदहवा	100.00
						पल्हारी	100.00
						गडवान	100.00
						मगरदह	100.00
						मुरैला	100.00
						कोदई/बन्धा	100.00
						योग-	700.00
10	M-A-21/2026			पटना	04-पटना	दिनारी	100.00

						करवनियों	150.00
						बैजनाथ	150.00
						योग-	400.00
11	M-A-22/2026			पटना	05-रामपुर	पलपल	150.00
						रामपुर	150.00
						काशी	100.00
						सोमा ए	100.00
						सोमा बी0	100.00
						सथारी	100.00
						योग-	700.00
				सेक्सन का योग 04 इकाई		कुलयोग-	3300.00
12	M-A-23/2026	सोनमद्र	सोनमद्र वन प्रभाग	रामगढ़	01-सिलहट	नउआसोती	100.00
						किरुहुलिया	100.00
						गुल्लीडाड	50.00
						नेवारी	50.00
						योग-	300.00
13	M-A-24/2026			रामगढ़	02-सुअरसोत	देवरी	100.00
						सुअरसोत	150.00
						तेनूडाही	50.00
						वाराडाड	100.00
						कजियारी	100.00
						उजारी	100.00
						धोबी-1	100.00
						धोबी-2	50.00
						तेनुआ	50.00
						तेन्दुआ	50.00
						डोभी-अ	50.00

						योग-	900.00
14	M-A-26/2026			मॉची	04-मझुई	पल्हारी	100.00
						पथरकुआ	100.00
						लोढा	50.00
						ढोसरा	50.00
						गंगवा	50.00
						मझुई	50.00
						नगवा	100.00
						योग-	500.00
15	M-A-28/2026			मॉची	06-चौरा	पनौरा-ए	100.00
						पनौरा-बी	100.00
						सोहदाग	100.00
						चिचलिक	90.00
						बडैला	100.00
						खोडैला	100.00
						योग-	590.00
				सेक्सन का योग 04 इकाई		कुलयोग-	2290.00
16	M-A-29/2026	मिर्जापुर	कैमूर वन जीव वन प्रभाग मिर्जापुर	घोरावल	01-पुरना	गुरहवा	50.00
						नौगढवा	100.00
						कठहवा फार्म (जुडिया गबहवा)	150.00
						योग-	300.00
				सेक्सन का योग 01 इकाई		कुलयोग-	300.00
17	M-A-32/2026	मिर्जापुर	कैमूर वन जीव वन प्रभाग मिर्जापुर	हलिया	02-चौरा	गौरवा-1	100.00
						गौरवा-2	50.00
						वरया -1	100.00

						पटपरा	50.00
						मगरहवा	50.00
						मुडपेली	50.00
						खमरिया	50.00
						मघा	50.00
						सुरजगढ़	100.00
						योग-	600.00
				सेक्सन का योग 01 इकाई		कुलयोग-	600.00
18	M-A-33/2026	मिर्जापुर	मिर्जापुर वन प्रभाग	चुनार	01-सुकृत/खोराडीह	पतबाई/कडिया/रमसगरा	150.00
						खोरिया/वनसत्ती/लतरिहवा	150.00
						योग-	300.00
19	M-A-34/2026			सुकृत	02-मधुपुर	तालर/चन्दनपुर	100.00
						गुलरहवा/जरलहवा	100.00
						नागनाथ हरैया/खानेआजम	100.00
						योग-	300.00
				सेक्सन का योग 02 इकाई		कुलयोग-	600.00
20	M-A-35/2026	मिर्जापुर	मिर्जापुर वन प्रभाग	पटेहरा	01-ऊ लेदुकी/द0 लेदुकी	ढोलो	150.00
						इमलीपोखर	50.00
						लेदुकी	50.00
						पथरहिया	50.00
						नौतोडवा	50.00
						दरातीघाट	50.00
						योग-	400.00
21	M-A-36/2026			पटेहरा	02-अतरैला	सिरसी	150.00
						पटेहरा	150.00
						योग-	300.00

				सेक्सन का योग 02 इकाई		कुलयोग-	700.00
22	M-A-37/2026	मिर्जापुर	मिर्जापुर वन प्रभाग	झूमण्डगंज	01-सोनगढा	राजपुर	50.00
						विरहिया पटटी	50.00
						नौडिहवा	50.00
						देई ए	50.00
						डिमोर	50.00
						देई बी	50.00
						खटखरिया	50.00
						पवारी	100.00
						भक्तवा	50.00
						योग-	500.00
23	M-A-38/2026			झूमण्डगंज	02-बंजारी	मधवा	50.00
						टीपा	50.00
						नागचुआ	100.00
						पवारी 1	50.00
						सिकटा	50.00
						गवई	50.00
						योग-	350.00
24	M-A-39/2026			झूमण्डगंज	03-भैसोड	भैसोड 1	150.00
						भैसोड 2	150.00
						योग-	300.00
25	M-A-40/2026			झूमण्डगंज	04-झूमण्डगंज	महुगढी	50.00
						चन्द्रगढ	50.00
						भैसोडजेर	100.00
						झूमण्डगंज	100.00

						योग-	300.00
26	M-A-41/2026			डूमण्डगंज	05-बबुरा	खोदाईपुर	50.00
						सगहा	50.00
						किरका	50.00
						पथरहवा	50.00
						मुंडेल	50.00
						मडवा 1	50.00
						गडबडा	50.00
						मडवा 2	50.00
						योग-	400.00
				सेक्सन का योग 05		योग-	1850.00
				इकाई			
	लौगिंग प्रभाग का योग			सेक्सन में कुल 26 इकाई		कुलयोग-	11840.00

प्रयागराज लौगिंग प्रभाग तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री वर्ष 2026

क्र०सं ०	लाट सं०/ वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दू पत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा० बो० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PA-3/2026	प्रयागराज	प्रयागराज	कोरांव	बडोखर प्रथम	1-छापर	50.00
						2-हरदौन	50.00
						3-गाढ़ा	50.00
						4-झलमल	50.00
						5-मझगवाँ	50.00
						योग-	250.00
2	PA-4/2026	प्रयागराज	प्रयागराज	कोरांव	बडोखर द्वितीय	1-भवानीपुर	100.00
						2-हण्डिया	100.00
						3-नेवरहवा	100.00
						4-तलरी	150.00
						5-बसहा	100.00
						योग-	550.00
3	PA-5/2026	प्रयागराज	प्रयागराज	शंकरगढ़	शंकरगढ़	1-अमिलिहाई	50.00
						2-रैपटना (बाहरी)	50.00

					श्रमिक)	
					योग-	100.00
					कुल योग:-	900.00
					प्रयागराज क्षेत्र का कुल योग:-	65390.00

झांसी लौगिंग प्रभाग तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री वर्ष 2026

क्र० सं०	लाट संख्या/वर्ष	जनपद का नाम	सेक्शन का नाम	इकाई का नाम	फंड का नाम	ते०प० बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो० में)
1	2	3	2	3	4	5
1	L-A 01/2026- 27	झांसी उरई ललितपुर	तालबेहट	बार	बाजना बघौली बार बम्हौरी खडैत बुडेरा जखौरा गैदोरा दैलवारा बिरौरा	50.00 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
					योग	550.00
2	L-A 02/2026- 27	ललितपुर	जाखलौन	जाखलौन	जाखलौन अ जाखलौन ब गनेशपुरा अ गनेशपुरा ब समोरिया बंट	100.00 50.00 75.00 50.00 75.00 150.00
					योग	500.00
3	L-A 03/2026- 27	ललितपुर	सैपुरा	सैपुरा	सैपुरा रमपुरा जमुनियां	100.00 100.00 250.00
					योग	450.00
						950.00
4	L-A 04/2026- 27	ललितपुर	पाली	पाली	पाली अ पाली ब सिमरधा पिपरियाजागीर	150.00 50.00 50.00 300.00

					योग	550.00
5	L-A 05/2026- 27	ललितपुर			बालाबेहट	100.00
					मुडारी	50.00
					बांसपुर	50.00
					सैपुराखालसा	50.00
					चौतराघाट	50.00
					योग	300.00
6	L-A 06/2026- 27	ललितपुर			रसोई	200.00
					किरोदा	50.00
					महोली	150.00
					पठराई	50.00
					दूधई	150.00
					डुगरिया	75.00
					बम्हौरीबंशा	75.00
					योग	750.00
7	L-A 07/2026- 27	ललितपुर			ठगारी	50.00
					चन्देरा	100.00
					मामदा	50.00
					कैथोरा	100.00
					पडना	100.00
					योग	400.00
						2000.00
8	L-A 08/2026- 27	ललितपुर			गौना अ	150.00
					गौना ब	150.00
					अमझराघाटी अ	150.00
					अमझराघाटी ब	150.00
					डोंगरा	50.00
					बरौदिया राइन	50.00
					क्योलारी	50.00
					योग	750.00
9	L-A 09/2026- 27	ललितपुर			नाराहट अ	250.00
					नाराहट ब	250.00
					नाराहट स	200.00
					योग	700.00
10	L-A 10/2026- 27	ललितपुर			दौलतपुर	100.00
					डोंगरा खुर्द अ	350.00
					डोंगरा खुर्द ब	100.00

				दिगवार	150.00
				योग	700.00
11	L-A 11/2026- 27	ललितपुर		पारौल अ	250.000
				पारौल ब	200.00
				पारौल स	200.00
				पटना अ	100.00
				पटना ब	100.00
				योग	850.00
					3000.00
12	L-A 12/2026- 27	ललितपुर		पिसनारी	350.00
				रजौला	150.00
				गोरा अ	300.00
				गोरा ब	100.00
				लिधौरा	100.00
				योग	1000.00
13	L-A 13/2026- 27	ललितपुर		धौरी	200.00
				सागर	100.00
				कुरट	150.00
				लखनजर	100.00
				जैतपुरा	50.00
				किशनपुरा	100.00
				योग	700.00
14	L-A 14/2026- 27	ललितपुर	मडावरा	बारई	50.00
				गौठरा	100.00
				पापड़ा	50.00
				हीरापुर	50.00
				योग	250.00
15	L-A 16/2026- 27	ललितपुर		सौरई अ	75.00
				सौरई ब	75.00
				जलधर	75.00
				भौंती अ	300.00
				भौंती ब	75.00
				खैरपुरा	50.00
				बिरौदा	250.00
				योग	900.00
16	L-A 17/2026-	ललितपुर		दिदौनिया	150.00
				मदनपुर	50.00

	27			अमौदा	150.00
				योग	350.00
17	L-A 18/2026- 27	ललितपुर		नीमखेड़ा	300.00
				गोरा खुर्द	100.00
				पहाड़ी कलां	200.00
				योग	600.00
18	L-A 19/2026- 27	ललितपुर		टौरी	50.00
				टौरीखेड़ा	150.00
				हिलगन	150.00
				नयाखेरा	50.00
				गनेशपुरा	50.00
				बड़वार	50.00
				गरौली	50.00
				मानपुरा	50.00
				योग	600.00
झांसी वन प्रभाग का कुल योग					10900.00

कवी लौगिंग प्रभाग तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री वर्ष 2026

क्र०सं 0	लाट संख्या/वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड का नाम	तेन्दूपत्ता विक्री की अनुमातिन मात्रा (मा०बो०में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	K-A 1/26	बोंदा	बोंदा	बोंदा	सढ़ा	बहादुरपुर	50.00
						नौहाई	50.00
						आनन्दपुर	50.00
						नाथू का पुरवा	50.00
						चिल्लहा	50.00
						दुलरिया कुआ	50.00
						गोले का पुरवा	50.00
						भवानीपुर	100.00
						गडिडहा	50.00
						कटरा	100.00
						सकतपुर	50.00
						रगौली	50.00
						छितैनी	50.00
						गजपतिपुर	50.00
						प्रसिद्धपुर	50.00
						बल्देवपुरवा	50.00

					इकाई का योग—	16 फड़	900.00
2	K-A 3/26	महोबा	महोबा	महोबा	बघौरा	बघौरा	50.00
						लडपुरा	50.00
						बछेछर	50.00
						इन्दौरा	50.00
					इकाई का योग—	4 फड़	200.00
					अतर्रा सेक्शन का योग—	20 फड़	1100.00
3	K-A 10/26	चित्रकूट	चित्रकूट	कर्वी	खम्हरिया	घुरेटनपुर	300.00
						बगैहा	300.00
						खोह पुरवा	200.00
						पनिहनपुरवा	100.00
						जगन्नाथ पुरवा	100.00
						मुखरामपुर	50.00
						अहिरनपुरवा	200.00
						मानपुर	200.00
						भौठीपार	200.00
						नौबस्ता	100.00
						खम्हरिया	250.00
						कोढन	150.000
						सेठा पुरवा	150.00
						भवानीपुर	300.00
						भागवतपुर	200.00
						कोलौहौ	200.00
					इकाई का योग—	16 फड़	3000.00
4	K-A 12/26	चित्रकूट	चित्रकूट	कर्वी	दुगवां	दोलबजा	150.00
						मुकुन्दपुर	50.00
						दुगवां	100.00
						बरहाई	100.00
						महादेवन	150.00
						खरैहा	100.00
						हरिहरपुर	100.00
						बन्दरी	50.00
						रामपुर	100.00
					इकाई का योग—	9 फड़	900.00
5	K-A 20/26	चित्रकूट	चित्रकूट	रैपुरा	, भौरी	घरधना	200.00
						वंश रूप का पुरवा	200.00
						रमजूपुर	200.00
					इकाई का योग—	3 फड़	600.00
6	K-A 21/26	चित्रकूट	चित्रकूट	रैपुरा	बगरेही	बगरेही	200.00

						गजटा	200.00
						ठीका / चरदहा	50.00
						चर	100.00
						अरवारा अ	50.00
						लहरी / मदना	100.00
					इकाई का योग—	6 फड़	700.00
7	K-A 22/26	चित्रकूट	चित्रकूट	रैपुरा	अगरहुडा	अगरहुडा	100.00
						गौतम का डेरा	100.00
						डांडी	50.00
						उडकी	150.00
						लौढिया	100.00
						उसर	50.00
						गिरधारा	100.00
						रामदास का डेरा	50.00
						नयाचन्द्रा	100.00
					इकाई का योग—	9 फड़	800.00
8	K-A 24/26	चित्रकूट	चित्रकूट	बरगढ	देशाह	देशाह	100.00
						कौबरा	100.00
						गौरिया अ	150.00
						गौरिया ब	50.00
					इकाई का योग—	4 फड़	400.00
9	K-A 26/26	चित्रकूट	चित्रकूट	रैपुरा	इटवा	महुलिया	200.00
						मोतीलाल पुरवा 2	100.00
						शिवबिहारी का पुरवा	150.00
						मोतीलाल का पुरवा 1	150.00
						हथराजी बैरिहा	200.00
						केशव का पुरवा	100.00
						मझपुरवा	100.00
						भगडा	100.00
						चमरुवापुरवा	100.00
						करौंदिहा	100.00
						माता प्रसाद पुरवा	100.00
						निविहाई	100.00
						इटवा	100.00
						घुनुवां	200.00
					इकाई का योग—	14 फड़	1800.00
					रामनगर सेक्शन का योग—	61 फड़	8200.00

10	K-A 28/26	चित्रकूट	चित्रकूट	बरगढ	गढवा	गढवा	300.00
						गजरी	300.00
						कोटराखामा	250.00
						चदई	150.00
						औरवा	100.00
					इकाई का योग-	5 फड	1100.00
11	K-A 31/26	चित्रकूट	चित्रकूट	बरगढ	बबुरी	छिवलहा	200.00
						बबुरी प्रथम	100.00
						बबुरी द्वितीय	200.00
						तिलिहा	150.00
						खपटिहा 1	100.00
						खपटिहा 2	100.00
						कुल्लूबाध	50.00
					इकाई का योग-	7 फड	900.00
12	K-A 33/26	चित्रकूट	चित्रकूट	बरगढ	, खण्डेहा	अर्जुनपुर	100.00
						तुरी	50.00
						मोहनपुर	50.00
						किटहना	100.00
						खण्डेहा	150.00
						हरदिहा	150.00
					इकाई का योग-	6 फड	600.00
					बरगढ सेक्शन का योग-	18 फड	2600.00
					कुलयोग-	99 फड	11900.00
	लखनऊ क्षेत्र का कुल योग:-						22800.00
	प्रयागराज क्षेत्र एवं लखनऊ क्षेत्र का कुल योग:-						88190.00

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।

पत्रांक - 1750/ते०प० अग्रिम बिक्री 2026

/ दिनांक - 21/1/2026

सेवा में,

मे० अनु इमेज मेकर्स

एडवर्टाइजिंग प्रा० लि०,

प्रयागराज।

विषय- तेन्दूपत्ता बिक्री सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन।

महोदय,

कृपया निम्नलिखित सूचना को निम्न लिखित समाचार पत्रों में दिनांक 22.01.2026 को कम से कम स्थान में (Size 6cm*7cm=42 Sq Cm में) केवल एक बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशन के उपरान्त विज्ञापन बिल सरकारी विभागों हेतु निर्धारित न्यूनतम दरों पर तैयार कर प्रकाशित सामग्री की प्रति सहित दो प्रतियों में इस कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।-

1. दैनिक जागरण, प्रयागराज, वाराणसी एवं झाँसी संस्करण।
2. हिन्दुस्तान, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी एवं लखनऊ संस्करण।
3. दैनिक भास्कर, रायपुर एवं जबलपुर।
4. अमर उजाला, बरेली एवं मुरादाबाद।
5. दैनिक आज, पटना एवं राँची।
6. आजकल, कोलकाता।
7. टाइम्स आफ इंडिया, लखनऊ, कानपुर, भोपाल, पटना, राँची एवं कोलकाता संस्करण।
8. दि हिन्दू दैनिक समाचार पत्र, हैदराबाद।



उत्तर प्रदेश वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल,

सिविल लाइन्स, प्रयागराज

दूरभाष - +91532-2427536, ई-मेल-rmall@upfc.in

वर्ष 2026 में हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री हेतु
ई-निविदा सूचना का सारांश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026 सीजन हरे तेन्दूपत्ता लाटों की अग्रिम बिक्री किये जाने हेतु द्वितीय ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। आनलाईन द्वितीय ई-निविदा प्रारम्भ करने की तिथि 01.02.2026 को समय 11.00 AM से प्रारम्भ होकर आनलाईन द्वितीय ई-निविदा प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 06.02.2026 को 3.30 PM बजे तक केवल उ०प्र० वन निगम की वेबसाइट www.upforestcorporation.co.in एवं ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल <http://upfctendupatta.in> में आनलाईन ई-निविदा दी जा सकती है। जो अन्तिम तिथि को सायंकाल 4.00 बजे खोली जायेगी।

ई-निविदा हेतु वर्ष 2026 के लिये तेन्दूपत्ता के विनिर्माता/व्यापारी को उ०प्र० वन निगम के विक्रय प्रभाग, दुधौ, वाराणसी एवं झाँसी कार्यालय में अथवा ऑनलाईन माध्यम से पंजीकरण कराना आवश्यक है। समस्त इच्छुक निविदाकारों को ई-प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल www.upforestcorporation.co.in एवं ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल <http://upfctendupatta.in> पर दिये गये प्रक्रिया के अनुसार ई-निविदा में भाग लेने हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है।

निविदा हेतु निविदा सूचना, लाट सूची तथा अन्य परिशिष्टों सहित दिनांक 27.01.2026 को केवल उत्तर प्रदेश वन निगम, की वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज

भवदीय,

(सुजॉय बैनर्जी)

महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक

पत्रांक- 1756/ते0प0/विक्रय/दिनांक- 21-01-2026.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को उनके कार्यालय के पत्रांक ते0प0-7409/ते0प0 अग्रिम बिक्री 2026/दिनांक-31.12.2025 के क्रम में।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, प्रयागराज, मीरजापुर, कानपुर, बुन्देलखण्ड झाँसी व बरेली।
4. महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता) उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, विपणन/उत्पादन/पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ/प्रयागराज।
6. वन संरक्षक, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, झाँसी एवं चित्रकूट।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. जिलाधिकारी/पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चित्रकूट, झाँसी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, जौनपुर, रायबरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं ज्योतिबा फुले नगर।
10. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मीरजापुर, ओबरा, रेनुकूट, सोनभद्र, कैनूर वन्य जीव, भदोही, काशी वन्य जीव रामनगर-वाराणसी, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाँदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झाँसी, ललितपुर व उरई (जालौन), रायबरेली, अमेठी।
11. समस्त प्रभागीय लौगिंग/विक्रय प्रबन्धक, लौगिंग अधिकारी/विक्रय अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज एवं झाँसी क्षेत्र।
12. प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, नजीबाबाद (सहारनपुर)।
13. प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस निविदा सूचना को उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
14. तेन्दूपत्ता केटा गण को डाक से।
15. कार्यालय सूचना पट।
16. प्रभारी लेखाधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुजाय बैनर्जी)

महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक



हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री हेतु ई-निविदा नियम एवं शर्तें

1. उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1807/14-2-29/83, दिनांक 07 अप्रैल 1983 द्वारा उत्तर प्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 (वर्ष 1972 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-19) की धारा-04 की उपधारा (1) सहपठित उत्तर प्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1972 के नियम 3 (7) के अधीन उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को ऐसे समस्त जिलों में जहाँ पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त हुआ हो, तेन्दूपत्ते का कय और उसका व्यापार करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार का "अभिकर्ता" नियुक्त किया गया है।
2. उ0प्र0 वन निगम द्वारा तेन्दूपत्ते की हरी अवस्था में ही कय करने के इच्छुक व्यक्तियों, पंजीकृत फर्मों, बीडी निर्माताओं से अग्रिम ई-निविदाये आवश्यकतानुसार माह दिसम्बर से माह मार्च तक आमंत्रित की जायेगी।
3. अग्रिम ई-निविदा सूचना उत्तर प्रदेश वन निगम की आधिकारिक वेबसाईट एवं ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल पर प्रकाशित की जायेगी, जो बिक्री शर्तों का भाग होंगी। अग्रिम ई-निविदा सूचना में निविदा की तिथि तथा निविदा डालने तथा खोलने का समय अंकित होगा।
4. अग्रिम ई-निविदा मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। किसी भी लौशिंग प्रभाग की किसी भी इकाई के तेन्दूपत्ता के लिये अग्रिम ई-निविदा पोर्टल में निविदाये निर्धारित तिथि तक दी जा सकती है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त अग्रिम ई-निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री इकाईवार की जायेगी तथा प्रत्येक इकाई की अनुमानित उत्पादन की मात्रा नीलाम/निविदा सूचना के साथ संलग्न विक्रय सूची में दी जायेगी। विक्रय सूची एवं निविदा सूचना उत्तर प्रदेश वन निगम की आधिकारिक वेबसाईट www.upforestcorporation.co.in एवं ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल <https://upfetendupatta.in/> पर भी उपलब्ध होगी।
6. इकाई की अनुमानित उत्पादन मात्रा का तात्पर्य तेन्दूपत्ते की संग्रहण केन्द्रों (फडों) पर एकत्र की जाने वाली 'हरी पत्ती की मात्रा' से है। निविदादाता के साथ तेन्दूपत्ता की अनुमानित उत्पादन मात्रा के लिये अनुबन्ध किया जायेगा। किसी इकाई में अग्रिम ई-निविदा सूचना में अनुमानित मात्रा के अनुसार ही विक्रय मूल्य उ0प्र0 वन निगम को देय है। यदि अनुमानित मात्रा से अधिक तेन्दूपत्ता संग्रहित होता है, तब क्रेता को लाट/इकाई की अनुमानित मात्रा का 10% अधिक उत्पादित मात्रा को लॉट हेतु दिये गए निविदा की दर पर ही स्वीकार किया जाना बाध्यकारी होगा। इससे अधिक उत्पादित मात्रा हेतु क्रेता को विकल्प होगा कि वे इसे स्वीकार करें अथवा नहीं। स्वीकार न करने की स्थिति में उसका निस्तारण वन निगम द्वारा संग्रहित किये गये पत्तों के समान ही किया जायेगा।
7. यदि अनुमानित मात्रा से कम तेन्दूपत्ता संग्रहित होता है तब क्रेता को इकाई के लिए स्वीकृत दर पर वास्तविक उत्पादन के अनुरूप भुगतान करना होगा।
8. अग्रिम ई-निविदा सूचना में दर्शित अनुमानित उत्पादन मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय या टंकण त्रुटि सुधारने का अधिकार उत्तर प्रदेश वन निगम के पास सुरक्षित होगा तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं इसके आधार पर की गई परिगणना को स्वीकार करना बाध्यकारी होगा।

9. अग्रिम ई-निविदा में प्रति मानक बोरा की दर से निविदा दी जायेगी। मानक बोरा से तात्पर्य तेन्दूपत्ता की एक हजार हरी गड़्डियों तथा एक गड़्डी में पचास तेन्दूपत्ती से है। प्रत्येक गड़्डी में कम से कम 50 पत्ती बीड़ी बनाने योग्य होना अनिवार्य है।

10. समस्त तेन्दूपत्ता क्रेताओं को ई-निविदा में भाग लेने हेतु वन निगम के ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने हेतु अपना नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, पैन कार्ड संख्या, जी०एस०टी० संख्या, आधार संख्या, दूरभाष नम्बर एवं ई-मेल पता अनिवार्य रूप से दर्ज कराना होगा तथा तेन्दूपत्ता ई-टेंडर पोर्टल पर पंजीकरण राशि रु० 30,000/- (Refundable) की धनराशि एच०डी०एफ०सी० बैंक के गेटवे के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम के खाते में जमा कर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के क्रेतागण ई निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत नहीं होंगे। यदि फिर भी बिना पंजीकरण के किसी क्रेता द्वारा ई निविदा में प्रतिभाग किया जाता है तो उसकी बोली/निविदा स्वतः ही निरस्त/अयोग्य मानी जायेगी।

11. एक ही लाट के लिये लाटरी पद्धति— यदि ई निविदा की प्रक्रिया में एक ही लाट पर दो या उससे अधिक ई-निविदादाताओं की दरें उच्चतम एवं बराबर प्राप्त होती हैं, तो ऐसी दशा में उस लाट का निस्तारण लाटरी पद्धति के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा, जिसमें महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता) का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

12. बंधक धनराशि

किसी भी इकाई की अनुमानित उत्पादन मात्रा के अनुसार निविदादाता को लाट में दी गई बोली (Offer Price) के अनुसार लाट के अनुमानित विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत बंधक धनराशि (EMD) के रूप में जमा करना होगा। क्रेता द्वारा जमा की गई बंधक धनराशि (EMD) के 10 गुना तक की धनराशि "क्रय क्षमता" (Purchasing Capacity) तथा क्रेता द्वारा क्रय क्षमता की धनराशि के 10 गुना तक की धनराशि पर "बोली की क्षमता" (Bidding Capacity) होगी। क्रेता को बंधक धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम के एच०डी०एफ०सी० (HDFC) खाते में ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से जमा करानी होगी। बिना बंधक धनराशि के अग्रिम ई-निविदा स्वीकार नहीं होगी। अग्रिम ई-निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने पर असफल निविदादाताओं की बंधक धनराशि उनके क०वाई०सी० खाते में वापस कर दी जायेगी, जिस पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा सफल निविदादाताओं की बंधक धनराशि का समायोजन जमानत में किया जायेगा।

13. निविदा स्वीकृत की सूचना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही

a- उच्चतम बोली के सफल निविदादाताओं को निविदा की स्वीकृति सक्षम स्तर से ऑनलाइन ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल <https://upftendupatta.in/> वन निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.upforestcorporation.co.in एवं ई-मेल/एस०एम०एस० के माध्यम से सूचित की जायेगी।

b- (i) निविदा स्वीकृत की सूचना के प्रेषण की तिथि से 30 दिन के अन्दर सफल क्रेताओं को स्वीकृत की गई तेन्दूपत्ता की मात्रा हेतु कुल विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना होगा, जिसमें से 15 प्रतिशत जमानत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम के खाते में आन-लाईन गेटवे के माध्यम से तथा 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ०डी०आर०/बैंक गारन्टी के रूप में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम के पक्ष में निरूपित कर जमा करना होगा। बन्धक धनराशि का समायोजन 15 प्रतिशत की जमानत धनराशि में किया जायेगा।

(ii) यदि क्रेता चाहे तो बैंक एफडी0आर0/बैंक गारन्टी के स्थान पर अपने स्वयं अथवा फर्म के खाते का प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के नाम का दिनांक 30 जून का पोस्ट डेटेड चेक जोकि उ0प्र0 राज्य में स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा का हो, जमा कर अनुबन्ध निष्पादित कर सकता है तथा बैंक गारन्टी दिनांक 30.06.2026 तक क्रेता द्वारा जमा न करने पर चेक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के खाते में जमा कर लिया जायेगा। यदि बैंक द्वारा चेक अनादरित कर दिया जाता है तो उस दशा में क्रेता द्वारा किये गये अनुबन्ध का उल्लंघन होगा। ऐसी दशा में उ0प्र0 वन निगम नियमानुसार अग्रेतर/विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) उक्त के अतिरिक्त यदि कोई क्रेता चाहे तो बैंक एफडी0आर0/बैंक गारन्टी के स्थान पर प्रश्नगत धनराशि का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के बैंक खाते में आनलाईन गेटवे के माध्यम से जमा कर सकता है।

c- अनुबन्ध का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता का अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण पर बन्धक धनराशि अधिग्रहीत कर ली जायेगी तथा क्रेता को एक निश्चित अवधि के लिये काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी निरस्त लाटों की पुनर्बिक्री पर वन निगम को हुई हानि क्रेता को वहन करनी होगी। यदि ऐसी हानि की रकम बन्धक राशि से अधिक होने की स्थिति में क्रेता के द्वारा इस सम्बन्ध में मांग सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू-राजस्व की भाँति वसूली योग्य होगी।

d- **फड़मुंशी का कमीशन** : फड़मुंशी द्वारा संग्रहण की गयी गड़िडियों का अभिलेखन संग्रहण पुस्तिका में किया जायेगा। क्रेता द्वारा कय की गयी इकाईयों की फड़ो से सम्बन्धित नियुक्त फड़मुंशी के कमीशन की धनराशि का भुगतान वास्तविक उत्पादन के आधार पर वन निगम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा। संग्रहण पूर्ण हो जाने के पश्चात् वास्तविक संग्रहण के अनुसार फड़ मुंशी के कमीशन की शुद्ध देय धनराशि का समायोजन किया जायेगा।

e- (i) **लाट हस्तांतरण**:- यदि कोई क्रेता अपने लाट का हस्तान्तरण किसी दूसरे क्रेता के नाम पर करना चाहता है तो ऐसा हस्तान्तरण दूसरे क्रेता द्वारा अनुमानित विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत जमानत तथा हस्तान्तरण शुल्क के रूप में रूपया 10,000/- (रु0 दस हजार मात्र) जमा करने के उपरान्त संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम द्वारा लिखित आदेश से किया जा सकता है। उक्त धनराशि पर जी0एस0टी0 भी नियमानुसार देय होगी। लाट हस्तांतरण की अनुमति हेतु कोई भी आवेदन संग्रहण अवधि (15 अप्रैल से 30 जून तक) में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ii) हस्तांतरणकर्ता क्रेता लाट के सम्बन्ध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक हस्तांतरण ग्राही क्रेता सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय में लाट का अनुबन्ध निष्पादित नहीं कर देता है।

तेन्दूपत्ते का संग्रहण, प्रसंस्करण, हस्तान्तरण, परिवहन एवं भण्डारण की प्रक्रिया

14. इकाईयों के अन्तर्गत निर्धारित संग्रहण केन्द्रों (फड़ों) पर फड़मुंशी एवं इकाई अधिकारियों के माध्यम से संग्रहण का कार्य सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा कराया जायेगा। इस हेतु पर्यवेक्षणीय दायित्वों एवं संग्रहण के समुचित क्रियान्वयन हेतु सेक्शन अधिकारी/इकाई अधिकारी की तैनाती प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।
15. तेन्दूपत्ता संग्रहण अवधि में संग्रहणकर्ताओं के पारिश्रमिक का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा।
16. तेन्दूपत्ता श्रमिकों को नगद धनराशि के पारिश्रमिक का भुगतान (उ०प्र० वन निगम के सक्षम स्तर से निर्धारित सीमा तक) उ०प्र० वन निगम द्वारा तेन्दूपत्ता श्रमिकों को सीधे किया जायेगा।
17. संग्रहण सीजन में क्रेता को सम्बन्धित इकाई की फड़ों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा अथवा अपना प्रतिनिधि रखना होगा जो फड़ों पर आ रही तेन्दूपत्ता की हरी गड़िडियों का निरीक्षण कर फड़मुंशी से संग्रहण अभिलेखों के अनुसार आगे दिन प्राप्ति स्वीकार करेगा। लाट में क्रेता को परिदत्त मात्रा को ही अन्तिम माना जायेगा।
18. क्रेता या उसके प्रतिनिधि को संग्रहण पुस्तिका में दर्ज विवरण के अनुसार फड़मुंशी द्वारा कय की गई तेन्दूपत्ता मात्रा की प्राप्ति लेनी होगी एवं तेन्दूपत्ते के हस्तान्तरण के तुरन्त बाद उसकी प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित फड़ मुंशी/इकाई अधिकारी को देनी होगी। फड़ पर आ रहे तेन्दूपत्ता गड़िडियों में पत्ते की संख्या या गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई असहमति या विवाद होने पर उस पत्ते को अलग रखवा दिया जायेगा तथा उच्च अधिकारियों को सूचित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, द्वारा अधिकृत अधिकारी के 48 घण्टे के अन्दर निरीक्षण के उपरान्त उसका निर्णय अन्तिम व क्रेता को मान्य होगा।
19. तेन्दूपत्ता की फड़ पर सुखाई के दौरान उल्टाई, पल्टाई, उपचार एवं अन्य रख रखाव एवं अनुरक्षण कार्य स्वयं क्रेता को करवाने होंगे तथा उसका व्यय स्वयं वहन करना होगा। क्रेता द्वारा तेन्दूपत्ते की कश्ती न करवाने, वर्षा से संग्रहित पत्ते के बचाव के पर्याप्त उपाय न करने, अथवा अन्य किसी कारण से बोरों में संग्रहित पत्तों की गुणवत्ता कम हो जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
20. तेन्दूपत्ता की कश्ती एवं बोरा भराई के लिये उपयुक्त बोरा, सुतली, तिरपाल आदि की व्यवस्था सम्बन्धित क्रेता द्वारा स्वयं की जायेगी। संग्रहण से पूर्व बोरों पर इकाई का नाम, संग्रहण वर्ष, फड़ का नाम, क्रेता का विवरण, बोरा कमांक इत्यादि विवरण उ०प्र० वन निगम द्वारा निर्धारित स्टैन्सिल प्रारूप के अनुसार बोरों पर छपान कराना अनिवार्य होगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य बोरों का प्रयोग वर्जित होगा। उ०प्र० वन निगम द्वारा तय किये गये स्टैन्सिल तथा रंग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के स्टैन्सिल, रंग अथवा बोरों पर विवरण अंकित पाये जाने की स्थिति में ऐसे बोरों को अवैध मानते हुए यथोचित विधिक कार्यवाही की जायेगी।
21. तेन्दूपत्ता गड़िडियों के बोरों में कश्ती के उपरान्त क्रेता द्वारा अपने व्यय पर वन निगम द्वारा पूर्व से निर्दिष्ट तेन्दूपत्ता गोदाम में ढुलान एवं भण्डारण कराना होगा।
22. फड़ से गोदाम तक ढुलान के लिये क्रेता द्वारा केवल उ०प्र० वन निगम द्वारा निर्धारित रक्कन प्रपत्र का प्रयोग किया जायेगा। संग्रहण/ढुलान एवं गोदाम में भण्डारण के दौरान तेन्दूपत्ता की सुरक्षा

- एवं रख-रखाव का पूर्ण दायित्व क्रेता का होगा। तेन्दूपत्ता संग्रहण/दुलान एवं भण्डारण के दौरान हुई किसी भी प्रकार की क्षति के लिये उत्तर प्रदेश वन निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
23. गोदाम में तेन्दूपत्ते का भण्डारण क्रेता की अनिरक्ष, देख-रेख, पर्यवेक्षण तथा जोखिम पर, लेकिन सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नियन्त्रण में रहेगा। क्रेता आवश्यकतानुसार पत्ती के अनुरक्षण/उपचार की कार्यवाही गोदाम अधिकारी की उपस्थिति में कराते रहेंगे, जिसका व्यय भार क्रेता को ही वहन करना होगा।
24. अग्रिम बिक्री प्रक्रिया के तहत बिक्री की गयी लाटों/इकाईयों के पत्तों का गोदाम में भण्डारण से पूर्व 2% की सीमा तक बोर्स की रेण्डम आधार पर चेकिंग की कार्यवाही सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा की जा सकती है। किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने की स्थिति में यथोचित कार्यवाही किए जाने की बाध्यता होगी।
25. तेन्दू पत्ता भण्डारण हेतु उ०प्र० वन निगम द्वारा निर्दिष्ट गोदामों का किराया सम्बन्धित क्रेता/क्रेताओं द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। प्रत्येक गोदाम पर क्रेता व वन निगम के संयुक्त ताला लगाया जायेगा।
26. गोदाम में भण्डारित तेन्दूपत्ता की सम्पूर्ण मात्रा का बीमा माह जुलाई में कराया जाना अनिवार्य है एवं गोदाम के बीमा का व्यय सम्बन्धित क्रेताओं को वहन करना होगा। गोदाम में भण्डारित तेन्दूपत्ते एवं गोदाम की हुई किसी भी क्षति/जोखिम के लिये उ०प्र० वन निगम उत्तरदायी नहीं होगा। बीमा न कराये जाने की स्थिति में यदि भण्डारित तेन्दूपत्ते में किसी प्रकार की हानि होती है तो क्रेता को काली सूची में डालते हुए लॉट के सम्पूर्ण मूल्य की वसूली क्रेता से किये जाने की बाध्यता होगी।

तेन्दूपत्ते के कय मूल्य का भुगतान एवं निकासी

27. क्रेता को तेन्दूपत्ता की निकासी नियमानुसार गोदाम से ही दी जायेगी। निकासी लेने से पूर्व क्रेता को सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक को लिखित आवेदन देकर निकासी की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
28. क्रेता को कय मूल्य का भुगतान समस्त देय करें सहित धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के एच०डी०एफ०सी० बैंक खाते में आन-लाईन गेटवे के माध्यम से निम्नानुसार चार बराबर किश्तों में जमा करना होगा:-

अ- प्रथम किश्त	-	5 अक्टूबर
ब- द्वितीय किश्त (प्रथम किश्त के 45वें दिन)	-	20 नवम्बर
स- तृतीय किश्त (द्वितीय किश्त के 45वें दिन)	-	04 जनवरी
द- चतुर्थ किश्त (तृतीय किश्त के 45वें दिन)	-	19 फरवरी

यदि क्रेता उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों में किश्त की देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा नहीं करता है तो किश्त की देय तिथि से 07 दिन के अन्दर बिना कोई विलम्ब शुल्क दिये क्रेता किश्त जमा कर सकता है।

29. यदि कोई क्रेता प्रथम किश्त की अवधि में ही उसके द्वारा कय की गई इकाई के तेन्दूपत्ता के लिये सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करता है तो उसे कय मूल्य की राशि पर एक प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा ऐसी स्थिति में वह सम्पूर्ण संग्रहित पत्तों की निकासी ले सकता है। किश्तों में भुगतान की स्थिति में यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

30. क्रेता द्वारा अन्य किसी किश्त की देय तिथि से पूर्व लाट का सम्पूर्ण कय मूल्य एवं उस पर देय समस्त करों की राशि का भुगतान जमा कर पत्ते की निकासी ली जा सकती है।
31. यदि क्रेता निर्धारित समय सीमा में देय मूल्य, कर एवं शुल्क जमा नहीं करता है तो क्रेता देय विक्रय मूल्य पर रु0 0.05 प्रति सैकड़ा प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क सहित देय धनराशि अनुबन्ध की समय सीमा तक जमा कर सकता है। इसके उपरान्त बिक्री स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा क्रेता की बन्धक धनराशि, अन्य जमा धनराशि एवं अवशेष तेन्दूपत्ता की मात्रा, वन निगम द्वारा जब्त करते हुए क्रेता व उसके फर्म को काली सूची में डाला जायेगा। विशेष परिस्थितियों में महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता), उ0प्र0 वन निगम को अनुबन्ध की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार होगा।
32. प्रत्येक किश्त का कर सहित समस्त भुगतान करने की दशा में क्रेता द्वारा उतने बोरो की निकासी ली जा सकती है।
33. किसी भी दशा में क्रेता को गोदाम से क्रेडिट निकासी नहीं दी जायेगी। गोदाम से निकासी लेने के लिये क्रेता को सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक की लिखित अनुमति एवं निश्चित समय अवधि के लिये तेन्दू पत्ता विनियमन 1972 के अनुसार वन विभाग/वन निगम से निर्गत परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना होगा। इस निकासी अवधि की सीमा में ही गोदाम अधिकारी द्वारा तेन्दूपत्ता की निकासी सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य दी जायेगी।
34. सम्पूर्ण धनराशि जमा कर देने के पश्चात क्रेता अपनी सुविधा अनुसार उसके द्वारा कय किये गये क्षेत्र से उत्पादित लाट की निकासी ले सकता है। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक निकासी देते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रेता के ऊपर गोदाम किराया अथवा अन्य कोई देयता नहीं है। क्रेता पर देयता होने की स्थिति में यह क्रेता का उत्तरदायित्व होगा कि वे सभी देयकों का भुगतान कर निकासी हेतु आवेदन करें। ऐसा न किये जाने की स्थिति में गोदाम में संग्रहित पत्तों की गुणवत्ता में कमी के कारण मूल्य में कमी, गोदाम किराया एवं अन्य किसी प्रकार का व्यय अथवा देयता की प्रतिपूर्ति का उत्तरदायित्व क्रेता का होगा एवं प्रतिपूर्ति किये बिना किसी भी हालत में निकासी नहीं दी जायेगी।

समय से किश्त न जमा करने पर विलम्ब शुल्क, बिक्री का निरस्तीकरण तथा क्रेता का नाम काली सूची में अंकित किया जाना

35. (अ) शर्त सं0 28 के अनुसार यदि क्रेता किसी किश्त की देय तिथि तक किश्त जमा नहीं करता है या निर्धारित तिथि के अनुसार बढ़ाई गई समय सीमा में विलम्ब शुल्क सहित किश्त जमा नहीं करता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा क्रेता की जमा जमानत जब्त कर ली जायेगी एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा उसका नाम काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा। वन निगम ऐसे लाटों को पुनः बेचने के लिये स्वतंत्र होगा। क्रेता को उसकी लाट की बिक्री निरस्त होने की कोई सूचना देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा।
- (ब) शर्त 35(अ) के अनुसार यदि किसी लाट की बिक्री निरस्त कर उसकी पुनः बिक्री की जाती है तो बिक्री के उपरान्त कम मूल्य प्राप्त होने पर अन्तर की धनराशि तथा उस पर देय जी0एस0टी0 की धनराशि की वसूली हेतु प्रथम क्रेता की जब्त की गयी जमानत की धनराशि को समायोजित करने के पश्चात् अवशेष धनराशि का समायोजन उक्त क्रेता की निगम में जमा वापसी योग्य अन्य

कोई धनराशि यदि हो, से की जायेगी। परन्तु पुनर्बिक्री के उपरान्त कम मूल्य से अधिक धनराशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक धनराशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।

(स) यदि शर्त संख्या- 35(ब) में उल्लिखित प्रक्रिया के उपरान्त भी निगम को कम प्राप्त हो रहे मूल्य की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो, ऐसी आर्थिक हानि की वसूली एवं उस पर देय जी०एस०टी० सहित क्रेता से भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकेगी। हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जायेगी:-

हानि की धनराशि = सम्बन्धित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित सम्भावित प्राप्तियाँ + पुनर्बिक्री तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय-आगामी निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियाँ - अधिहारित की गयी बन्धक/जमानत/प्रतिपूर्ति निक्षेप से प्राप्त राशि

कर भार:-

36. (अ) भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार तेन्दूपत्ता की बिक्री पर नियमानुसार क्रेता से आयकर की वसूली की जायेगी।
(ब) शर्त सं० 36 (अ) में वर्णित आयकर के अलावा तेन्दू पत्ता की बिक्री पर अन्य किसी प्रकार का कर यदि शासन द्वारा लगाया जाता है तो उसकी भी वसूली संबंधित क्रेता से की जायेगी।
(स) वर्तमान में प्रचलित जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) की निर्धारित दरों पर वसूली क्रेता से की जायेगी।
37. यह स्पष्ट किया जाता है कि उ० प्र० में तेन्दू पत्ता का व्यापार, उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) द्वारा नियंत्रित होता है, इसके अतिरिक्त तेन्दू पत्ता एक वनोपज होने के कारण भारतीय वन अधिनियम 1927 भी इस पर लागू होता है। उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत निकासी तथा तेन्दू पत्ता के परिवहन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने एवं सुसंगत नियमों का पालन करने का दायित्व क्रेता का होगा। साथ ही वन निगम के अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय संग्रहण से लेकर निस्तारण तक तेन्दूपत्ता जांच कर नियमों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही कर सकते हैं। इस पर क्रेता की आपत्ति मान्य नहीं होगी। जांच कार्यवाही में अनियमितता पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का वन निगम का पूर्ण अधिकार होगा।
38. किसी भी समय लाट का अनुबन्ध होने के बाद भी, यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित क्रेता/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
39. राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी की अनुमति नहीं है। यदि कोई अधिवक्ता ऐसी ठेकेदारी में प्रतिभाग करते हैं तो उनके आवेदन सीधे निरस्त कर दिये जायेंगे। यदि अनुबन्ध होने के बाद भी यह तथ्य संज्ञान में आता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
40. ऐसे फर्म/संस्था जिन्हें काली सूची में डाला गया है, के प्रोपराइटर अन्य किसी नाम से फर्म अथवा संस्था पंजीकृत कराकर ई-निविदा में प्रतिभाग करने से प्रतिबंधित होंगे। इसी प्रकार काली सूची में फर्मों के प्रोपराइटर अन्य किसी फर्म के प्रतिनिधित्व करने से भी प्रतिबंधित होंगे।
41. किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम लखनऊ के पास सुरक्षित होगा। सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

42. तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री से सम्बन्धित न्यायिक विवाद केवल उसी न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसके क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत उक्त बिक्री से सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक का कार्यालय आता हो।
43. तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता), उत्तर प्रदेश वन निगम लखनऊ "आर्बीट्रेटर" होंगे, जिसका निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।
44. उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में समय-समय पर यदि किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिये प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम अधिकृत होंगे।

उत्तर प्रदेश वन निगम